सं. A-15018/2(O.O)/2023-Ad.I
भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

शिक्षित भारत विकसित भारत

खण्ड सं-9, के० स० का० परिसर/Block No. -9, C.G.O. Complex,
लोधी रोड, नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3
दिनांक/ Dated: 18 फरवरी, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आधार समर्पित बायोमेट्रिक उपस्तिथि प्रणाली (AEBAS) में दैनिक उपस्तिथि दर्ज तथा समय अवधि का पालन करने से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.06.2024 एवं इस निदेशालय के परिपत्र दिनांक 11.08.2025, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.07.2025 एवं 27.06.2024 का संदर्भ लेने व यह कहने का निर्देश हुआ है कि निदेशालय में आधार-समर्पित बायोमेटिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) में पंजीकृत सरकारी कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति की समीक्षा की गई। जांच करने पर यह पाया गया कि इस निदेशालय के कुछ अधिकारी/कर्मचारी बायोमेट्रिक System में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करते हैं तथा कुछ का औसत कार्यालय उपस्थिति समय (stay time) न्यूनतम ड्यूटी के घंटों (8.30 घंटे प्रति दिन) से कम है, जो कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के मानक के अनुकूल नहीं है।

2. इस निदेशालय में सभी स्तरों के सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्तव्य के प्रति समर्पण और समय की पाबंदी बनाए रखना अनिवार्य है। अतः सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे कार्यालय में बायोमेट्रिक System में उपस्थिति तथा समय से संबंधित निर्देशों का सख्ती से पालन करें और न्यूनतम ड्यूटी के घंटों (8.30 घंटे प्रति दिन) को पूरा करें, अन्यथा उनके खिलाफ़ नियमानुसार उचित कारवाई की जा सकती है।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

18-02-26

(महेश कुमार पचार)
संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक के प्रधान निजी सचिव।
2. अपर निदेशक (I) के निजी सचिव अपर निदेशक (II) के निजी सचिव ।
3. सभी संयुक्त निदेशक ।
4. निदेशालय के सभी अधिकारी/ कर्मचारी।
5. सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी): निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स.नि.पु.बे।
7. मुख्यालय के सभी अनुभाग, सी.पी.आर.टी.आई., पोलनेट हब, तथा सभी ISPW स्टेशनों एवं सभी RPWTIs के प्रभारी: अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के संज्ञान में लाने हेतु।
8. कार्यालय आदेश फ़ाइल।